सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/17 **निर्णय दिनांकः–**

1. बीरबलराम पुत्र श्री चूनाराम जाति सुनार निवासी बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09–01–2017

उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति :–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 09—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट

की पात्रता के आधार पर ग्राम कर्मवाला के खसरा नम्बर 292 में तादादी 75 बीघा भूमि बारानी का आवंटन दिनांक 22—07—1971 को किया गया था। में 20 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा अपीलांट के नाम विधिवत पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन की कोई सूचना अदालत मातहत द्वारा प्रदान नहीं की गई। अपीलांट को जब उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई तो अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादगत् भूमि का कब्जा प्रदान करते हुए आराजी जैर का अंकन अपीलांट के नाम से किया जावे। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के बाबत् रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आराजी जैर आज दिनांक को भी अराजीराज दर्ज है तथा मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है अंकित किया गया है।

अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। वादगत् भूमि आज दिनांक तक अन्य को आवंटित

नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् आराजी का कब्जा सुपुर्द करते हुए अपीलांट के टी.सी. आवंटन को पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान करने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट के विपरीत होने व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट की गैर हाजरी में बिना किसी आधार के निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होकर अन्य भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील बीकानेर के ग्राम कर्मवाला में खसरा नम्बर 292 में रकबा 75 बीघा भूमि काश्त हेतु टी.सी. आवंटन दिनांक 22–07–1991 को की गई।

(ब) अपीलांट द्वारा आराजी जैर के टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार हल्का से आवेदित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में 14 बिन्दुओं का अंकन है जिस पर रिपोर्ट चाही गई थी। अदालत मातहत द्वारा वांछित रिपोर्ट पर तहसीलदार हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके अनुसार अपीलांट का टी.सी. आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं है व प्रार्थी का नाम भूमि अभिलेख में दर्ज नहीं है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि वादगत् आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है मौके पर खाली है व अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है।

(स) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि वादगत् भूमि मुताबिक रिपोर्ट मौके पर खाली पड़ी है तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से आवंटन प्रतीत नहीं होता है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली जो अपील की पत्रावली के साथ संलग्न प्राप्त हुई है का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में अपीलांट के आवंटन की प्रति मय रिपोर्ट तहसीलदार संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन पत्रावली का अवलोकन किये बिना

सरसरी तौर पर व संक्षिप्तः अपीलाधीन आदेश पारित किया गया प्रतीत होता है। जो न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(द) इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08–11–2007 क्रमांक प–5(ए) 24/उप.नि/4/4604 उल्लेखनीय है कि इगानप क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन इन कारणों से निरस्त हुए हैः–(1)जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटन हो गई हो, (2)या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि घोषित कर दी गई अथवा, (3) उस स्थान पर वह भूमि आवंटन योग्य व उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे उपरोक्त श्रेणी के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों से (ए) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर या(बी) यदि ऐसे आवेदन पूर्व में आंमत्रित किये जा चुके है, तो सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्व राजकीय भूमि में से वर्तमान में उस आवेदक की भूमि पात्रता आदि की जॉच की जाकर राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन विक्रय नियम 1978 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(ल) राज्य सरकार के निर्देश स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया

एवं प्रार्थी के आवेदन को लम्बे समय से न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने व उसके हक में अपील न्यायालय से निर्णय होने एवं राज्य सरकार के उक्त परिपत्र जो कि ऐसे काश्तकारों के हितों की रक्षा व उनके मामलों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से पारित किया है– का कोई परिशीलन नहीं किया और ना ही कोई हवाला दिया व सरसरी तौर पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी को लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् भी कोई न्याय नहीं मिला–इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एवं इस श्रेणी के काश्तकारों के हितों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में उक्त परिपत्र जारी करना समीचीन समझा।

(व) ऐसे लाभकारी उपबन्ध जो काश्तकारों के हितों में जारी करना तात्पर्यित है, एवं ऐसा काश्तकार जो वर्षो बाद भी न्यायिक प्रक्रियाओं

के जाल में अपने कब्जे की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की आशा में आज भी उलझा है, को इस उपबन्ध का लाभ दिया जाना यह न्यायालय उचित एवं लोकहित में आवश्यक समझता है, क्योंकि ऐसे उपबन्धों का आश्य भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना तात्पर्यित है, जैसा कि उक्त परिपत्र की भाषा से परिलक्षित है।

यह खेद का विषय है हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जबकि स्थिति राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र में स्पष्ट कर दी गई है। अपीलांट की अपील केवल इस आधार पर निरस्त कर दी जाये कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त परिपत्रानुसार रिलिफ नहीं मांगी गई है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अपील मीमो एवं रिपोर्ट पटवारी का मनन किया, राज्य सरकार के परिपत्र की उपराक्त विवेचनानुसार परिशीलन करने के उपरान्त हम यह उपयुर्क्त पाते है कि अपीलांट आराजी जैर ग्राम कर्मवाला के खसरा नम्बर 292 तादादी 75 बीघा बारानी के पुख्ता आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2017 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर